न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी।

वाद संख्या : 121 / 12–13

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम जहांगीराबाद, परगना व
तहसील नवाबगंज, बाराबंकी।

जहांगीराबाद एजूकेशनल ट्रस्ट जहांगीराबाद बनाम सरकार

नकल आदेश दिनांक 10/12/12 छायाप्रति

जहांगीराबाद एजूकेशनल ट्रस्ट जहांगीराबाद परगना व तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी द्वारा ट्रस्टी एस0एम0आरिफ निवासी जहांगीराबाद एजूकेशनल ट्रस्ट जहांगीराबाद, बाराबंकी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 अधिनियम दिया है, जिसमे कहा गया है कि गाटा संख्या–48 रकमबा 0.150हे0, 64 रकबा 0.016हे0, 65 रकबा 0.025हे0, 70 रकबा 0.100हे0, 73 रकबा 0.015हे0, 74 रकबा 1.038हे0, 75 रकबा 0.200हे0, 81 रकबा 0.950हे0, 98 रकबा 0.060हे0 कुल 9 किता रकबा 0.554हे0 स्थित ग्राम जहांगीराबाद, परगना व तहसील नवाबगंज जरिए पंजीकृत बैनामा खरीदी गयी तथा राजस्व कागजात में प्रार्थी के नामान्तरण हो गया। उपरोक्त आराजियात के आसपास आबादी विकसित हो गयी है और मकानात व शैक्षिक संस्थान बने जिसके कारण उक्त आराजी कृषि कार्य हेतु नहीं रह गयी है। उक्त भूमि को धारा–143 ज0 वि0 अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु याचना की गयी है।

इस प्रार्थना–पत्र की जांच तहसीलदार, नवाबगंज से करायी गयी। तहसील की आख्या में कहा गया है कि उक्त भूमि पर स्थल पर जहांगीराबाद इन्स्टीट्यूट चल रहा है। सम्पूर्ण भूमि व्यावसायिक शिक्षण कार्य के उपयोग में आ रही है। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि को धारा–143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

मैंने तहसील की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी, आकार पत्र नियम–135 सहित समस्त अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया। आकार पत्र नियम–135 के विशेष कालम के अनुसार उपरोक्त गाटे पर कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, बागवानी, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है। अतएव इसे अकृषिक भूमि घोषित किया जा सकता है।

अतः ग्राम जहांगीराबाद परगना व तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी के आकार पत्र–45 के खाता संख्या 538 की गाटा संख्या–48 रकमबा 0.150हे0, 64 रकबा 0.016हे0, 65 रकबा 0.025हे0, 70 रकबा 0.100हे0, 73 रकबा 0.015हे0, 74 रकबा 1.038हे0, 75 रकबा 0.200हे0, 81 रकबा 0.950हे0, 98 रकबा 0.060हे0 कुल नौ गाटा रकबा 2.554हे0 माल गुजारी परता खाता को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तहसील की जांच आख्या आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक नवाबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 10 दिसम्बर 2012

(सुनील कुमार चौधरी)
उप जिलाधिकारी नवाबगंज,
बाराबंकी।

CANCELLED

उप जिलाधिकारी / असिस्टेंट कलेक्टर नवाबगंज बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी
तारीख गुजरने दरख्वास्त नकल 12/12/12
तारीख तैयारी 13/12/12
तादाद कोर्ट फीस 3=7
तादाद शब्द 336
तारीख देने नकल 13/12/12

छायाप्रति
TRUE COPY
13/12/12